न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 95/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2001/00006)

1. चानणगिर | पि. रूपगिर जाति गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर
2. भादरगिर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. टिकमदास पुत्र कुदनमल जाति सिंधी साकिन जयपुर बजरिये बालचंद पुत्र बंशीलाल जाति सिंधी लाहाना निवासी नोहर तहसील नोहर (मृतक)
   1/1 आशादेवी बेवा टिकमदास जाति सिंधी मु.आम लखमीचन्द पुत्र बालचंद जाति सिंधी निवासी नोहर जिला हनुमानगढ
2. सुगनगिर पुत्र सुल्तानगिर जात गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर।
   2/1 रामी पत्नी स्व. सुगनगिर
   2/2 विमला (गुड़डी) पुत्री स्व. सुगनगिर
   2/3 ज्ञानाराम पुत्र स्व. सुगनगिर
   2/4 लीलूराम पुत्र स्व. सुगनगिर
   | जाति गुसाई निवासीगण चक 6 एच एम एच ग्रा. पं. अमरपुरथडी तहसील हनुमानगढ।
3. इन्द्रावती बेवा सोहनगिर जाति गुसाई साकिन बरमसर तहसील रावतसर हाल अमरपुराथडी तहसील व जिला हनुमानगढ। **(फौत आदेश दिनांक 12.01.2010 को नाम हटाया गया)**
4. राजू पुत्र सोहनगिर
5. अनिल पुत्र सोहनगिर
6. सोमती पुत्री सोहनगिर
   | अकवाम गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद अमरपुराथडी तहसील व जिला हनुमानगढ
7. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री हरीश मदान् – अभिभाषक अपीलान्ट्स
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः 3.श्री सुरेश कुमार शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1/1

निर्णय **दिनांकः 30.05.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 20.11.2001 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के निमित पहले साधारण सम्मन फिर अखबार में सम्मन जारी किये जाने के बाद भी

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही (Ex party) अमल में लिये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि साबिका ख. नं. 138 मे 36 बीधा 17 बिस्वा, ख. नं. 138 मे ही 25 बीधा 5 बिस्वा,के दो खेत वाके अरडकी मे श्री रूपगिर व हजारीगिर पि. श्योलाल के गिर जाति गुसाई निवासीस अरडकी तहसील नोहर के कब्जे काश्त में थी। उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि अपीलान्ट व अन्य वारिसानो के कब्जे काश्त मे आ रही है। उक्त भूमि के ख. नं. 348 में 61 बीधा 3 बिस्वा भूमि बने है। उपरोक्त 61 बीधा 3 बिस्वा भूमि पूर्व में खातेदारी नही थी। जिसके लिए रूपगिर हजारीगिर ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष खातेदारी प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.78 के द्वारा सयुक्त रूप से प्रदान कर दी गई। बाकी बची भूमि का विवाद न्यायालय मे विचारधीन है। किन्तु गल्ती से पैमाईश मे खाली बची भूमि सुल्तानगिर पुत्र बलदेवगिर के नाम दर्ज हो गई। अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के संमक्ष वाद दायर कर रखा है जो विचाराधीन है। जिसके आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4. रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 के मु.आम लखमीचन्द ने दिनाक 12.02.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 के अभिभाषक की जगह में स्वय पैरवी करना चाहता हुं, मगर बहस हेतु बार – बार अवसर दिये जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 की तरफ से ना तो उसके अभिभाषक उपस्थित हुए और ना ही उसके मु. आम लखमीचन्द।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को ही अपनी बहस बता कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपर जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपील सं. 01/2001 अनुवान टिकमदास बनाम सुगनगिर निर्णय दिनांक 20.11.2001 मे पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावें।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 20.11.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नही है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत करते समय धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि खं. नं. 348 की 25 बीधा 5 बिस्वा अपीलान्ट के पिता रूपगिर एव ताउ हजारीगिर के कब्जे काश्त मे चली आ रही है, तथा इस भूमि बाबत खातेदारी प्राप्त करने एवं खातेदारी एवं रिकार्ड में दुरूस्ती का वाद विचाराधीन है परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज एव साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के मुताबिक अपीलाधीन भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6 के पिता/पति/पूर्वज सुल्तानगिर वल्द बलदेवगिर के नाम दर्ज रही है जिसकी मृत्यु के पश्चात अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 457 वारिसान के हक में स्वीकृत किया है, जबकि इससे पूर्व नामान्तकरण सं. 248 के द्वारा अपीलाधीन भूमि का विक्रय के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत हो चुका था जिसके चलते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं. 457 को विधि सम्मत नही माना गया है। इसी विवेचन के आधार पर अपर जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं. 457 को निरस्त किया है जो न्यायोचित है। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण में किसी तरह प्रभावित पक्षकार साबित नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है साथ ही अपील अपीलान्ट इसी आधार पर संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।